न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – डॉ आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 31/2013

उनवान

श्री राजपाल सिंह पुत्र श्री विरेन्द्र सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी मकान नम्बर 3 घ/13 जवाहर नगर जयपुर ..... प्रार्थी .....

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार जिला अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 132 सपठित धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

दिनांक :– 19.11.2019

प्रकरण में सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 132, सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम सेंदरिया तहसील व जिला अजमेर अवस्थित खाता संख्या 178 नया 166 पुराना के खसरा नम्बर 1238 रकबा 03–03–00 बीघा कृषि भूमि के मूल खातेदार श्री कज्जा, बन्ना व पन्ना पुत्रगण स्व0 श्री बुद्वा जाति रावत निवासीगण ग्राम सेंदरिया तहसील व जिला अजमेर रहे है जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रमाणित वर्किग जमाबंदी संवत 2041 में किये गये इन्द्राजात से पूर्णतया सिद्व है। उक्म कृषि भूमि को अन्य कृषि भूमि के साथ उक्त वर्णित मूल खातेदारान से प्रार्थी द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 03.05.91 द्वारा रूपये 20000 प्रतिफल राशि में क्रय किया जाकर भौतिक आधिपत्य प्राप्त किया गया जिस पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 3.5.91 के आधार पर प्रार्थी के नाम क्रयशुद्वा भूमि का नामान्तकरण स्वीकृत किया जाकर तदानुसार राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के

Scanned by CamScanner

नाम खातेदारी अंकित कर दी गई । प्रार्थी के खातेदारीव आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1238 रकबा 03–03–00 बीघा भूमि से लगती हुई कृषि भूमि खसरा नम्बर 1237 रकबा 01–16–00 बीघा जो कि वर्किंग खाता संख्या 92 नया 86 क पुराना के अनुसार छोटू, लूम्बा, पन्ना व धन्ना पुत्रगण दल्ला कौम रावत निवासीगण ग्राम सेंदरिया तहसील व जिला अजमेर के खातेदारी व आधिपत्य में चली आ रही है । प्रार्थी के खातेदारी व आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1238 का साबिक खसरा नम्बर 976 रहा है इसी प्रकार खसरा नम्बर 1237 जो कि छोटू, लुम्बा व धन्ना पुत्रगण दल्ला कौम रावत निवासीगण ग्राम सेंदरिया तहसील व जिला अजमेर के खातेदारी व आधिपत्य में है का साबिक खसरा नम्बर 975 रहा है । विधिक प्रावधानो एवं प्रतिपादित न्यायिक दृष्टातों के परिपेक्ष्य में भू–प्रबन्ध विभाग पूर्व राजस्व रिकार्ड में किये गये विधि सम्मत इन्द्राजात की पुनरावृत्ति राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु विधि के तहत बाध्य एवं प्रतिबन्धित है। जब तक की किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का आदेश व डिक्री पारित नही की जाती है। परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी आधार के प्रार्थी के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1238 के बाबत कायम किये गये वर्किंग नक्शा ट्रेस सन्1970–71 में चौसाला नक्शा ट्रेस सन् 1951–52 के विपरित लिपिकीय त्रुटि कारित करते हुए भौतिक स्थिति को परिवर्तित कर 1237 की भूमि के स्थान पर अंकित कर दिया गया है तथा इसी प्रकार 1237 की भूमि को 1238 के स्थान पर अंकित कर दिया गया है जो प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दोनो नक्शा ट्रेस में किये गए अंकन से पूर्णतया सिद्व है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कारित लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर वर्तमान नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1238 को 1237 व 1237 को 1238 के स्थान पर अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। खसरा नम्बर 1238 प्रार्थी के क्रयशुद्वा खातेदारी व आधिपत्य की भूमि है जिस पर प्रार्थी अपने पूर्वाधिकारी के समय से आज दिवस तक काबिज काश्त चला आ रहा है जो भूमि राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राज के अनुसार 1238 ही है परन्तु भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के लिपिकिय त्रुटि कारित की है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को उपरोक्त गैर कानूनी लिपिकिय त्रुटि की जानकारी सर्वप्रथम उिदनांक 14.3.2013 को हुई जब पटवारी हल्का द्वारा उक्त तथ्यों से अवगत कराया गया तत्पश्चात प्रार्थी द्वारा आराजी मुतनाजा से सम्बन्धित प्रमाणित राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करते हुए विद्वान तहसीलदार अजमेर से लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया तो उनके द्वारा विधिक कार्यवाही किये जाने का निर्देश दिया गया । भू–प्रबन्ध संक्रियाये राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमाक प. 13 (5) राज/1/2002 दिनांक 26.5.2008 द्वारा समाप्त की जाकर भू–प्रबन्ध प्रकिया के समय कारित त्रुटियों को दुरूस्त फरमाये जाने का क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय में निहित हो चुके है । राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत लैण्ड रिकार्ड कलेक्टर की अन्तरित शक्तियॉ

Scanned by CamScanner

माननीय न्यायालय में निहित होने एवं अन्तर्गत धारा 111, 132 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत माननीय न्यायालय को इस प्रकार की लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त फरमाये जाने का क्षैत्राधिकार विधि के तहत प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त फरमाये जाने का क्षैत्राधिकार विधि के तहत प्राप्त होने से यह प्रार्थना पत्र लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त फरमाये जाने एवं वार्षिक राजस्व रिकार्ड को पूर्ववत रखे जाने हेतु माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर वर्किंग नक्शा ट्रेस में कारित लिपिकिय त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर चौसाला नक्शा ट्रेस के आधार पर वर्किंग नक्शा ट्रेस में 1238 के स्थान पर 1237 एवं 1237 के स्थान पर 1238 अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

राजकीय पेरोकार द्वारा उपस्थित होकर बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के द्वारा वर्किंग खसरा नम्बर 1237 के खातेदार को पक्षकार संयोजित नही किया गया है तथा ना ही प्रार्थी ने वर्तमान राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया गया है के अभाव में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन है कि चौसाला खसरा नम्बर 976 व 975 रहे जिसके वर्किंग खसरा नम्बर 1237 व 1238 है। परन्तु वर्किंग नक्शा 1970–71 में खसरा नम्बर 1237 के स्थान पर 1238 व 1238 के स्थान पर 1237 राजस्व नक्शे में दर्ज किया जावे । परन्तु प्रार्थी के द्वारा वर्किंग खसरा संख्या 1237 के खातेदार छोटू, लुम्बा, पन्ना व धन्ना पुत्रगण दल्ला जो आवश्यक पक्षकार है वर्किंग जमाबंदी में खातेदार दर्ज है को पक्षकार नही बनाया गया है जो आवश्यक पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। साथ ही प्रार्थी द्वारा वर्तमान मिलान क्षैत्रफल जमाबंदी व नक्शा मानचित्र प्रस्तुत नही किया गया है ।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विषलेषण अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 132 सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज की जाती है ।

आदेश आज दिनांक 19.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ0 आर्तिका शुक्ला)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.11.22 12:10:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: